न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 52/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/94

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
आईदानराम अध्यक्ष ग्रामोत्थान विधापीठ, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. तहसीलदार डीडवाना 2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका डीडवाना

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0 आर0 एक्ट
अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार साहब, डीडवाना नामान्तकरण सं0 4359 दिनांक 26.12.2014 बाबत् खसरा संख्या 1181 रकबा 08.01 बीघा व नामान्तरकरण संख्या 3996 दिनांक 05.06.2012 बाबत् खसरा संख्या 1181/3345 रकबा 0.10 बीघा नामान्तरकरण संख्या 2661 दिनांक 08.10. 2003 बाबत् खसरा संख्या 1182 रकबा संख्या 02.08 बीघा का बहक नगर पालिका मण्डल डीडवाना को निरस्त करने हेतु।

उपस्थितः–
1. श्री रणजीत बलारा वकील अपीलान्ट की ओर से
2. श्री रामस्वरूप मीण तहसीलदार डीडवाना
3. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से

–ःआदेशः–

दिनांकः 28.05.2024

अपीलांट की ओर से अपील निम्न प्रकार से हैः–

1. यह है कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 1181 रकबा 08.11 बीघा वाके डीडवाना स्थित है, जिसकी खातेदारी व कब्जा काश्त बनवारीलाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी डीडवाना के नाम से खातेदारी थी तथा बनवारीलाल ने उक्त 08.11 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र ग्रामोत्थान विधापीठ डीडवाना को 60000 रूपयों में बेचाण दिनांक19.10.1994 को करके कब्जा संभला दिया था तथा नामान्तरकरण भी ग्रामात्थान विधापीठ डीडवाना के नाम से भर दिया गया था तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 1182 रकबा 2.8 बीघा वाके डीडवाना में से एक प[illegible] [illegible]0 फुट = 6000 वर्ग फुट अर्थात 7 बिस्वा भूमि [illegible] [illegible] निवासी डीडवाना से तीन हजार रूपयों [illegible] विक्रय पत्र [illegible]क 08.11.1994 को क्रय कर ग्रामात्थान विधापीठ के नाम बेचाण कर दिया था तथा मौके पर कब्जा संभाल लिया था तथा इसी प्रकार खेत खसरा [illegible] 1182 रकबा 2.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

बीघा में से एक प्लॉट 60X100 फुट = 6000 वर्ग फुट अर्थात करीब 7 बिस्वा भूमि उक्त किसनाराम से जरिये विक्रय पत्र 2500/ रूपयों में क्रय कर ग्रामोत्थान विधापीठ डीडवाना के नाम से दिनांक 05.04.1995 को करवा दी थी, इस प्रकार खसरा संख्या 1181 में से 8.11 बीघा व खसरा संख्या 1182 में से 14 बिस्वा भूमि की खातेदारी ग्रामोत्थान डीडवाना के हो गयी थी, जमाबन्दी की नकलें अपील के साथ पेश है। लेकिन वर्तमान खातेदारी में खसरा संख्या 1181 रकबा 8.11 की बजाय 8.01 दर्ज है जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 4359 दिनांक 26.12.2014 के गलती से नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से दर्ज हो गयी जमाबन्दी की नकल संवत् 2070 से 2073 में उल्लेख है तथा खसरा संख्या 1181/3345 रकबा 0.10 बीघा का अलग खसरा है जिसकी खातेदारी भी सहवन से नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से सहवन से जरिये नामान्तरकरण संख्या 3996 दिनांक 05.06.2012 के हो गया, तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1182 रकबा 2.08 बीघा भूमि उक्त किसनाराम की खातेदारी की थी, और दिनांक 08.11.1994 व दिनांक 05.04.1995 को ग्रामोत्थान विधापीठ के पक्ष में उसमें से दो बार 14 बिस्वा भूमि विक्रय करने के बावजुद उक्त सम्पूर्ण 2.08 बीघा भूमि का नामान्तरकरण भी सहवन से नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से भर दिया गया, जो म्युटेशन कानून की दृष्टि में अवैधानिक व नल एण्ड वोईड है तथा अपीलान्ट के अधिकारो के प्रति बेअसर है। उक्त गलत म्यूटेशन से व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधारों पर यह अपील पेश करता है:–

<u>अपील के आधार</u>

1. यह है कि जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व योग्य अधिनस्थ न्यायालय क्रय सुदा व कब्जा सुद व खातेदारी की भूमि पर कब्जे बाबत कोई जॉच नहीं की और अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना साक्ष्य सबुत के म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त भूमि के चारों और वर्ष 1994 में चार दिवारी बनाकर उसमें ग्रामिण लड़कियों के लिये छात्रावास व स्कुल का निर्माण करवा दिया था तथा वर्ष 1994–95 से ही स्कूल व छात्रावास अबाध रूप से चल रहा है। तथा करोड़ों रूपये भवन निर्माण पर खर्च हो रखे है। इतना कुछ होने के बावजुद व लगातार कब्जा अपीलान्ट का होने के बावजुद नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से बाला बाला ही नामान्तरकरण स्वीकृती की कार्यवाही गैर कानूनी है। आज तक कब्जा अपीलान्ट का ही है, पटवारी हल्का व राजस्व निरिक्षक ने बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण भर दिया तथा तहसीलदार डीडवाना ने वाक्याती [illegible] प्रथम द्रष्टया ही खारिज योग्य है।
2. यह है कि अपीलान्ट की संस्था [illegible] कालेज खोलने की कार्यवाही बाबत पटवारी [illegible] के लिये दिनांक 17.01.2019 को जाने [illegible] नकारी होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

दिनांक 17.01.2019 को जमाबन्दी व नामान्तरकरण पंजीका की नकल लेने से गलत म्युटेशन की जानकारी हुई अतः अपील अन्दर मयाद है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर जैर अपील बिना जॉच किये म्यूटेशन संख्या 3996 दिनांक 05.06.2012 बाबत खसरा संख्या 1181/3345 रकबा 0.10 बीघा, म्यूटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 बाबत खसरा संख्या 1182 रकबा 2.08 बीघा 14 बिस्वा म्यूटेयान संख्या 4359 दिनांक 26.12.2014 बाबत खसरा संख्या 1181 रकबा 8.01 बीघा वाके डीडवाना का रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम से मंजूर किया गया उक्त म्यूटेशन को निरस्त फरमावें तथा म्यूटेशन के फलस्वरूप खतौनी में गलत इन्द्राज को हटाया जावे तथा पुनः अपीलान्ट की संस्था ग्रामोत्थान विधापीठ डीडवाना के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कृपा करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की तरफ से वकील श्री सुरेन्द्र पूरी ने वकालतनामा पेश किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार डीडवाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्रामात्थान विद्यापीठ डीडवाना के द्वारा मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1181 रकबा 8.01 बीघा भूमि दस्तावेज संख्या 1111/94 के द्वारा क्रय की गयी तथा खसरा नम्बर 1182 रकबा 02.08 बीघा भूमि में से 6000 वर्गफीट दस्तावेज संख्या 359/59 के द्वारा क्रय की गयी व खसरा नम्बर 1182 रकबा 02.08 बीघा भूमि दस्तावेज सं0 1140/94 के द्वारा 6000 वर्गफीट क्रय की गई भूमि है। जिसके संबंध में मौजा डीडवाना के खसरा सं0 1182 जमाबन्दी संवत 2058–61, खसरा सं0 1181/3345 जमाबन्दी संवत 2066–69 व खसरा सं0 1181 जमाबन्दी सं0 2070–73 से इनकी खातेदारी को हटाकर नगर पालिका डीडवाना को खातेदारी अधिकार दिये गये है। वर्तमान में इस संस्था का ही कब्जा है तथा उक्त संस्था में शिक्षण कार्य सम्पादित हो रहा है तथा शिक्षण संस्थागत उपयोग में इस भूमि को काम में लिया जा रहा है। इस संस्था में ग्रामीण क्षेत्र की लडकिया अध्यनरत है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर पालिका डीडवाना द्वारा 90ए की कार्यवाही कर आराजी खसरा नं0 1181 को नगर पालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। 90ए की कार्यवाही करने से पूर्व तहसीलदार डीडवाना द्वारा सर्वे करवाया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा वर्तमान में कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ रहा है तथा तहसीलदार डीडवाना ने अपने पंत्राक 1426 दिनांक ...4 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर की 90ए की कार्यवाही ... नगर पालिका डीडवाना द्वारा उक्त खसरों की 90ए की कार्यवाही करने से पूर्व लोक सूचना दैनिक भास्कर अखबार में साया करवाई गई। नगर पालिका डीडवाना ने अपने पंत्राक 4019 दिनांक 12.02.2014 के द्वारा 90ए की कार्यवाही के संबंध में 07

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिवस में आपत्तियां भी मांगी थी। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में अपीलान्ट ने किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।

नगर पालिका डीडवाना द्वारा 90ए की सम्पूर्ण प्रक्रियां करने के पश्चात अपने पंत्राक 1000 दिनांक 11.07.2014 को 142 खसरों को नगर पालिका के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये। जिनमें अपीलान्ट का खसरा भी शमिल था। इस प्रकार 90ए की कार्यवाही के पश्चात उक्त खसरा नगर पालिका डीडवाना के नाम दर्ज किया गया।

90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जारी किया गया आदेश की विधिवत अपील सक्षम न्यायालय में की जा सकती है। प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायिक निर्णय के अनुसार स्वीकृत किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत विधिवत स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण धारा 133 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के तहत पूर्णतः विधि अनुसार खोला गया तथा विधि अनुरूप ही राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट की धारा 135 के तहत स्वीकृत किया गया।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारीज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **28.05.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

28/5/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.07 11:11:12 IST
Reason: SelfAttested